

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

हरनाथ पिता भैरुं गुर्जर निवासी दलपुरा (किशनगढ)

बनाम

नारायण पिता गोपी गुर्जर निवासी निवासी दलपुरा (किशनगढ) वगैरह

किरम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 216/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम दलपुरा (किशनगढ) प.ह. किशनगढ आराजी सं. 16/3 किता 1 रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम दलपुरा (किशनगढ) प.ह. किशनगढ आराजी सं. 16/3 किता 1 रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/2024/316

दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:-³¹⁶ प्र.स./2024 अनवान हरनाथ पिता भैरुं गुर्जर निवासी दलपुरा (किशनगढ) बनाम नारायण पिता गोपी गुर्जर निवासी, मुकेश पिता गोपी गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), सोजी पिता जगन्नाथ गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), महावीर पिता श्रीमरा गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), नारायण पिता गोपी गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), हजारी पिता भैरुं गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), रामनारायण पिता देवकरण गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), भोजा पिता उदा गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ), राधाकिशन पिता लादू गुर्जर निवासी दलपुरा(किशनगढ) की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम दलपुरा प.ह. किशनगढ आराजी सं. 16/3 रकबा 0.6480 भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा